



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226098
CG-DL-E-25032021-226098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943

No. 1224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

का.आ. 1322(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 31.449 (खेळानी) से कि.मी. 65.150 (नई ठाठरी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी उपायुक्त, डोडा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 31.449 (खेळानी) से कि.मी. 65.150 (नई ठाठरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: डोडा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) □	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: डोडा					
गांव का नाम: बारशाला					
1	649	अन्य	उन इर्रिगेटेड	1.0117100(हेक्टेयर)	1.0117100
2	649	निजी	उन इर्रिगेटेड	0.2600410(हेक्टेयर)	0.2600410
3	798	सरकारी	उन इर्रिगेटेड	0.4451540(हेक्टेयर)	0.4451540
4	800	अन्य	उन इर्रिगेटेड	1.5617300(हेक्टेयर)	1.5617300
5	801	निजी	उन इर्रिगेटेड	0.1954850(हेक्टेयर)	0.1954850
6	803	सरकारी	रिवर	0.3728810(हेक्टेयर)	0.3728810
7	803/1	सरकारी	रिवर	0.6284410(हेक्टेयर)	0.6284410
8	805	सरकारी	उन इर्रिगेटेड	0.9971610(हेक्टेयर)	0.997161 □
9	807	निजी	उन इर्रिगेटेड	0.5346370(हेक्टेयर)	0.5346370
गांव का नाम: हमीरपुर					
1	Un-dermarcated Forest Land	सरकारी	नेशनल हाईवे/रोड	1.5276900(हेक्टेयर)	1.5276900
गांव का नाम: हुड					
1	721	निजी	इर्रिगेटेड	0.0020230(हेक्टेयर)	0.0020230
गांव का नाम: जठेली					

☐	931	सरकारी	रिवर	0.5988530(हेक्टेयर)	0.5988530
गांव का नाम: मल्होरी					
1	1070	निजी	इरिगटेड	0.1021640(हेक्टेयर)	0.1021640
गांव का नाम: सारस					
1	371	निजी	इरिगटेड	0.0282260(हेक्टेयर)	0.0282260
2	372	निजी	इरिगटेड	0.1011710(हेक्टेयर)	0.1011710
तालुक का नाम: ठाठरी					
गांव का नाम: काहला					
1	302/1	सरकारी	नेशनल हाईवे/रोड	1.6897200(हेक्टेयर)	1.6897200
कुल				10.0571	10.0571

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/Khellani-Chatroo/Doda/LA/R/2020-21/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2021

S.O. 1322(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (two lane with paved shoulder, etc.), maintenance, management and operation of NH-244 in the stretch of land from Design Km. 31.449 (Khellani) to Km. 65.150 (New Thathri) in the district of Doda in the State of Jammu & Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner, Doda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-244 in the stretch of land from Design Km. 31.449 (Khellani) to Km. 65.150 (New Thathri) in the district of DODA in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR		District: DODA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Doda					
Village: Barshala					
1	649	Common	Un-irrigated	1.0117100(Hectare)	1.0117100
2	649	Private	Un-irrigated	0.2600410(Hectare)	0.2600410
3	798	Government	Un-irrigated	0.4451540(Hectare)	0.4451540
4	800	Common	Un-irrigated	1.5617300(Hectare)	1.5617300
5	801	Private	Un-irrigated	0.1954850(Hectare)	0.1954850
6	803	Government	River	0.3728810(Hectare)	0.3728810
7	803/1	Government	River	0.6284410(Hectare)	0.6284410
8	805	Government	Un-irrigated	0.9971610(Hectare)	0.9971610
9	807	Private	Un-irrigated	0.5346370(Hectare)	0.5346370
Village: Hamirpur					
1	Un-dermarked Forest Land	Government	National Highway/Road	1.5276900(Hectare)	1.5276900
Village: Hud					
1	721	Private	irrigated	0.0020230(Hectare)	0.0020230
Village: Jatheli					
1	931	Government	River	0.5988530(Hectare)	0.5988530
Village: Malhori					
1	1070	Private	Irrigated	0.1021640(Hectare)	0.1021640
Village: Saras					
1	371	Private	irrigated	0.0282260(Hectare)	0.0282260
2	372	Private	irrigated	0.1011710(Hectare)	0.1011710
Taluk: Thathri					
Village: Kahla					
1	302/1	Government	National Highway/Road	1.6897200(Hectare)	1.6897200
Total				10.0571	10.0571

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/Khellani-Chatroo/Doda/LA/R/2020-21/3A2]

RAJESH GUPTA, Director